XI

निष्कर्ष

समेकित बाल विकास सेवाएं (स.बा.वि.से.) योजना छः वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों तथा गर्भवत्ती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणिक तथा विकास आवश्यकताओं हेतु भारत की ध्वजपोत योजना है। तथापि, योजना का कार्यान्वयन विभिन्न अभावों तथा कमियों द्वारा चिन्हित था। बच्चों में कुपोषण तथा गंभीर कुपोषण के अत्याधिक मामलों तथा वर्ष 2008 तक स.बा.वि.से. के अंतर्गत सेवाओं का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद इसे अभी भी प्राप्त किया जाना था। मंत्रालय आंगनवाड़ी केन्द्रों (आं.के.) की अपेक्षित संख्या को संस्वीकृत करने में विफल रहा तथा राज्य सरकारें संस्वीकृत योजना के अंतर्गत निवासस्थान, मुख्य रूप से उनका जहाँ प्रबलरूप से अनूसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य कमजोर की आबादी थी, के अभिकरण पर आश्वासन देने की स्थिति में नहीं था।

आं.के. की इमारतों के निर्माण में विलम्ब हुआ था जिसने इसके प्रारम्भ से तीन दशकों से अधिक के पश्चात भी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सेवाओं की सुपूदर्गी हेतु अपेक्षित पर्याप्त् अवसंरचना से वंचित रखा। कई परिचालनात्मक आं.के. ध्वस्त/आधा पक्के/कच्चे भवनों अथवा खुले/आंशिक रूप से ढ़के स्थान, जहाँ पर्याप्त स्थान नहीं था, से कार्य कर रहे थे। मूल सुविधाओं जैसे शौचालय तथा पेय जल सुविधाओं की अनुपस्थिति, बच्चों को अस्वच्छ स्थिति में डालती है। कई केन्द्रों में अनुपूरक आहार, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा वृद्धि मॉनीटरिंग, बच्चों में आम मौसमी रोगों के प्रकोप से बचने हेतु अपेक्षित औषधी किटों जैसी सेवाएं प्रदान करने हेतु अपेक्षित आवश्यक उपकरण, फर्नीचर तथा बर्तन उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, अपर्याप्त् अवसंरचनात्मक तार्किक सहायता के कारण लाभार्थियों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता को गंभीर रूप से संकट में डाला था।

इसके अतिरिक्त, फील्ड कार्यकर्ताओं की अपेक्षित संख्या को नियुक्त्/प्रशिक्षित करने में सरकार की विफलता का परिणाम कई परियोजनाओं तथा आं.के. का बिना आवश्यक/प्रशिक्षित मानव संसाधन के कार्यात्मक रहने में हुआ। परिचालनात्मक परियोजनाओं तथा आं.के. में महत्वपूर्ण स्टाफ का निरंतर अभाव स.बा.वि.यो. योजना के विस्तार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही थी। अपर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना तथा प्रशिक्षण में असंयोजित संचय छोड़े गए, जिनमें योजना के अंतर्गत सेवाओं की सुपूर्दगी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की क्षमता है।

योजना के अंतर्गत सेवाओं की सुपूर्दगी अपर्याप्त थी। राज्य सरकारों ने अनुपूरक आहार घटक के अंतर्गत निधियों की अपेक्षित राशि का व्यय नहीं किया था। निर्धारित मानदण्ड़ों की तुलना में बच्चों को पोषण प्रदान करने में प्रति लाभार्थी प्रति दिन व्यय कम था। इसे

आगे, योजना के अंतर्गत अनुशंसित तथा वास्तव में लाभार्थियों को प्रदत्त कैलोरी/सूक्ष्म पोषक तत्वों में अंतर सहित कई आं.के. में सेवाओं में विघटनों तथा पोषण की अपर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता का सामना करना पड़ा। मंत्रालय कुपोषण के परिणामों को कम करने हेतु समाजिक हस्तक्षेप के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) के वृद्धि मानकों पर देश में इसकी सीमा का निर्धारण करने में विफल रहा।

मंत्रालय के पास स्कूल-पूर्व शिक्षा के योग्य लाभार्थियों का डाटा नहीं था जिसने उसे इसके विस्तार की सीमा को निर्धारण करना असंभव बनाया। लेखापरीक्षा ने नमूना आं.के. में स्कू.पू.शि. प्रदान करते समय विस्तार में कमी, कई केन्द्रों में स्कूल-पूर्व (स्कू.पू.शि.) किटों की अनुपलब्धता तथा अनिवार्य कार्यों का अभाव पाया। इसके अतिरिक्त, फील्ड स्तरीय डाटा के गैर/अनुपयुक्त अनुरक्षण के कारण स्कू.पू.शि. की समाप्ति के पश्चात औपचारिक शिक्षा हेतु बच्चों को मुख्य धारा में नहीं लाया जा सका।

योजना के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू.शि.सं.) की निधियों के कम उपयोग, के साथ सेवाओं के प्रति समुदाय संघटन अपर्याप्त था। सू.शि.सं. तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन में कमी तथा इसके प्रभाव मूल्यांकन का अभाव था। इसका प्रभाव योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सेवाओं के प्रति लक्ष्यित लाभार्थियों की निम्न प्रतिक्रिया में देखा गया था।

योजना के अंतर्गत वित्तीय मॉनीटरिंग कमजोर थी। कई राज्यों ने अपनी व्यय विविरणों तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किये थे। मंत्रालय राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों में विसंगतियों को ध्यान में लाने तथा उनके द्वारा किए व्यय को निर्धारित सीमा तक सीमित करने में विफल रहा जिसका परिणाम निधियों की अधिक प्रतिपूर्ति में हुआ। इसके अतिरिक्त, अवास्तविक बजटीकरण स.बा.वि.से. कार्यकर्ताओं के वेतन एवं भत्ते के संशोधन के अनुसार इनके वेतन हेतु निधियों को जारी करने में कमी का कारण बना जिसका परिणाम योजना के अन्य घटकों जैसे कि औषधी किट, आं.के. हेतु फ्लैक्सी निधियाँ, स्कू.पू.शि. किट तथ सू.शि.सं. हेतु राज्यों/सं.शा.क्षे. को जारी निधियों के विघटन में हुआ जिससे योजना के अंतर्गत प्रदान सेवाओं की पहुँच तथा गुणवत्ता से समझौता हुआ।

मंत्रालय द्वारा योजना की अपर्याप्त मॉनीटरिंग योजना कार्यान्वयन में मुख्य बाधा थी। नवीन स्थापित केन्द्रीय मॉनीटरिंग इकाई योजना के सहगामी मूल्यांकन सहित कोई भी सौंपा गया कार्य पूरा करने में विफल थी। मंत्रालय की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन इकाई के पास योजना के अधिकांश संकेतकों अर्थात् परिचालनात्मक आं.के./परियेजना की संख्या, योजना के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों की संख्या, कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या आदि पर पूर्ण रूप से विश्वसनीय डाटा नहीं था। अधिकारियों के राज्य दौरों तथा मॉनीटरिंग रिपोर्टों पर शोधक कार्रवाई उचित रूप से प्रलेखित नहीं थी। पर्यवक्षक स्टाफ में रिक्ति का परिणाम फील्ड स्तर पर त्रुटिपूर्ण मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षण में हुआ।

प्रतिवेदन में इंगित कई कमजोरियां योजना में निरंतर रही हैं तथा इससे भा.नि.म.ले.प. द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के माध्यम से मंत्रालय को अवगत कराया गया। हालांकि मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई, कमियों का निपटान करने हेतु अपर्याप्त थीं।

अंततः, बच्चों के कल्याण हेतु भारत के मुख्य संकेतकों की दी गई स्थिति के लिए,स.बा.वि.से योजना को देश के सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य निर्माण के लिए अपनी सेवाओं की प्रभावी सुपूर्दगी हेतु उपयुक्त सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

नई दिल्ली **(रॉय मथरानी)**
दिनाकः 16 जनवरी 2013 **महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय**

प्रति हस्ताक्षर

नई दिल्ली **(विनोद रॉय)**
दिनाकः 17 जनवरी 2013 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**